चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 09.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 09/08/026 दिन रविवार को पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (वामा सारथी) उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन चित्रकूट श्री रामाशीष यादव की उपस्थिति में पुलिस लाइन स्थित कान्हा सभागार में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस लाइन की वॉलिंटियर्स महिलाएं व अन्य पुलिस परिवार की महिलाएं व अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा मूल आधारित शिक्षा राजयोग ध्यान व्यक्तित्व विकास तनाव प्रबंधन सकारात्मक सोच एवं नशा मुक्ति जैसे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम ने बकरी चोरी के 04 आरोपी अभियुक्तों को चोरी की 04 अदद बकरी के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्तों के नाम पता का विवरणः-

1.लवलेश कोल पुत्र शिवकुमार

2.रमेश पुत्र राजबहादुर आदिवासी

3.राहुल पुत्र अमर बहादुर कोल

4.दिनेश उर्फ लाला पुत्र सिरदार कोल निवासीगण सेमरा थाना बरगढ जनपद चित्रकूट

संक्षिप्त विवरण

दिनाँक 08/08/26 को आगन्तुक देवनाथ पुत्र काशी निवासी ग्राम पूरब पताईद्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गयी कि वह बाबा प्राणनाथ स्कूल के पीछे अपनी बकरियाँ चरा रहा था तभी चार अज्ञात व्यक्ती मेरी चार बकरियाँ चोरी कर भागने लगे, सोर मचाया और अपने लड़के शनी, दामाद ओमप्रकाश गाँव के शिव प्रसाद पाल व अपनअन्य साथियों की मदद से दौड़ाकर चारो चोरों को पकड लिया और अपनी बकरियाँ छुड़ा ली। चोरों से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम लवलेश कोल पुत्र शिवकुमार निवासी सेमराथाना बरगढ चित्रकूट दूसरे ने रमेश पुत्र राजबहादुर आदिवासी निवासी से मरा तीसरे ने राहुल पुत्र अमर बहादुर कोल निवासी सेमरा व चौथे ने अपना नाम दिनेश उर्फ लाला पुत्र सिरदार कोल निवासी सेमरा थाना बरगढ जनपद चित्रकूट बताया। देवनाथ उपरोक्त स्वयं डायल 112 को फोन करके 112 पुलिस की मदद से पकडे हुए चारों बकरी चोरों व बकरियों को साथ लेकर थाना उपस्थित आया। अभियुक्तों को थाना मऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। चोरी के माल बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 291/26 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पांडेय व आरक्षी संतोष सिंह,आरक्षी शरद सिंह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 133/19 धारा 304,342,504 120बी भादवि0 की वारंटी अभियुक्त मल्हा उर्फ शिव दर्शन पुत्र सूरज निवासी खदरा मजरा चुरेकेशरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री वंश नारायण सिंह थाना मानिकपुर व मुख्य आरक्षी संदीप देव,आरक्षी रविंद्र राठौर,आरक्षी अनूप द्वारा मु0अ0सं0 712/11 धारा 387,325,323,504,506 भादवि के वारंटी अभियुक्त दादू और धाकड़ कोल पुत्र रामचरण निवासी बजहा पुरवा मजरा हनुवा थाना मानिकपुर चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(3).उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया थाना बहिलपुरवा व आरक्षी राघवेंद्र राजपूत के द्वारा अपराध संख्या 74/24 धारा 110 ,115(2), 351(2), 351(3),352 बीएनएस के वारंटी अभियुक्त कमलेश पुत्र मोहन निवासी ग्राम गजटा मजरा एचवारा थानाबहिलपुरवा चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(4).उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह थाना पहाड़ी व आरक्षी सुशील कुमार,आरक्षी सतीश कुमार द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 73/25 धारा 379,411 भादवि के वारण्टी अभियुक्त कुशल उर्फ कुमकुम पुत्र कल्लू रैदास निवासी ग्राम लोहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(5).उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना बरगढ़ द्वारा अपराध संख्या 11/19 धारा 60 आबकरी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त मुन्नालाल पुत्र पृथ्वी पाल निवासी बोझ फॉर्म थाना बरगढ़ चित्रकूट को गिरफ्तारकिया गया।
(6).उ0नि0 श्री अमरेश चंद्र तिवारी थाना बरगढ़ व आरक्षी अंकित यादव द्वारा अपराध संख्या 73/18 धारा 60,63 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त झल्लर पुत्र रामसेवक कोल निवासी छरहैया थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(7). उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय,उ0नि0 श्री मुन्ना सिंह थाना मऊ व मु0 आरक्षी बृजेन्द्र यादव द्वारा अ0सं0 77/19 धारा 323 भादवि के वारण्टी अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छेदीलाल पुत्र भोला केवट निवासी ग्राम बसौडा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(5). आज दिनाँक 09.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय के पर्यवेक्षण में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण: संदिग्ध अपराधियों**,**असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय**,** प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत पांडेय**,**थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार की उपस्थिति में पुलिस टीम द्वारा थाना मारकुण्डी क्षेत्र के चौरी जंगल में कॉम्बिंग की गयी। कॉम्बिंग का उद्देश्य जनपद के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है**,**संवेदनशील इलाकों**,** भीड़-भाड़ वाले स्थानों**,** सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर रोकथाम करना है साथ ही पुलिस की सक्रियता से जनता में सुरक्षा का भाव पैदा होगा।